पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–08/2017................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर/वैशाली/पूर्वी चम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगुसराय/खगड़िया/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/कटिहार/भागलपुर/पटना/भोजपुर/बक्सर/सारण/सिवान/गोपालगंज/पश्चिमचम्पारण/पूर्णियाँ/अररिया/किशनगंज/शेखपुरा/लखीसराय/नालंदा।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0001–निःसहायों एवं विकलागों को नगद अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010001 मद में ₹1330.00 लाख, उपशीर्ष –0002–खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड– 39–2245021010002 मद में ₹1995.00 लाख, उपशीर्ष –0003–संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड –39–2245021010003 मद में ₹456.00 लाख, उपशीर्ष –0004–प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण विपत्र कोड 39–2245021010004 मद में ₹56.00 लाख, लघुशीर्ष –112–जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष–0002– जनसंख्या का निष्क्रमण, विपत्र कोड–39–2245021120002 मद में ₹1280.00 लाख, लघुशीर्ष–118–मछली पकड़ने के लिए खराब किश्तियों तथा उपकरण की मरम्मत/प्रतिस्थापना के लिए सहायता, उपशीर्ष–0001– क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति /नये नावों का निर्माण विपत्र कोड–39–2245021180001 मद में ₹430.00 लाख कुल ₹ 5547.00 लाख (पचपन करोड़ सैतालीस लाख रूपये) आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः–स्वीकृत ।

2 इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष 0001 निःसहायों एवं विकलागों को नगद अनुदान, उपशीर्ष –0002–खाद्यान्न की आपूर्ति, उपशीर्ष –0003–संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, उपशीर्ष 0004–प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण, लघुशीर्ष –112–जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष–0002– जनसंख्या का निष्क्रमण, लघुशीर्ष–118–मछली पकड़ने के लिए खराब किश्तियों तथा उपकरण की मरम्मत /प्रतिस्थापना के लिए सहायता, उपशीर्ष–0001– क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति /नये नावों का निर्माण मद के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3 उपर्युक्त 28 (अठाईस) जिलों को लघुशीर्ष/उपशीर्षवार/विषयशीर्षवार एवं विपत्र कोड सहित पूर्व एवं वर्त्तमान आवंटित राशि की विवरणी अनुलग्नक– I एवं अनुलग्नक II के रूप में संलग्न है।

4 यह आवंटन बाढ़ प्रवण जिलों को बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु निर्गत किया जा रहा है। इस राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार चक्रवात के मद्देनजर भी किया जा सकता है ।

5 आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के

त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक–17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर ''आवंटन प्राप्त हुआ'', यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक–../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक–../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक- ..../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक –.../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक–.................10....................../आ0प्र0, पटना 15, दिनांक 29/4/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0/ मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4/17

अपर सचिव

अनुलग्नक – I

मांग संख्या 39 (राशि रु० लाख में)

क्र०	जिला का नाम	2245–02–101–0001–नि:सहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान 39–2245021010001 विस्तृत शीर्ष–35–राहत, विषय शीर्ष– 01–नगद /वस्तु		2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति 39–2245021010002 विस्तृत शीर्ष–37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष–01–अनुग्रह अनुदान		2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति 39–2245021010002 विस्तृत शीर्ष–21–सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष– 03–आहार/पथ्य		2245–02–101–0003–संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 39–2245021010003 विस्तृत शीर्ष–37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष–01–अनुग्रह अनुदान		2245–02–101–0004–प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 39–2245021010004 विस्तृत शीर्ष–35–राहत, विषय शीर्ष– 01–नगद /वस्तु		2245–02–112–0002–जनसंख्या का निष्क्रमण 39–2245021120002 विस्तृत शीर्ष–35–राहत, विषय शीर्ष– 01–नगद /वस्तु		2245–02–118–0001–क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति/नये नावों का निर्माण 39–2245021180001 विस्तृत शीर्ष–21–सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष–01–सामग्री एवं पूर्तियाँ		आवंटन का कुल योग	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	मुजफ्फरपुर	0.00	80.00	20.00	80.00	0.00	40.00	20.00	20.00	0.00	2.00	40.00	70.00	0.00	20.00	80.00	312.00
2	वैशाली	0.00	80.00	20.00	80.00	0.00	40.00	20.00	20.00	0.00	2.00	40.00	50.00	0.00	20.00	80.00	292.00
3	पूर्वी चम्पारण	0.00	80.00	20.00	80.00	0.00	40.00	20.00	20.00	0.00	2.00	40.00	60.00	0.00	20.00	80.00	302.00
4	सीतामढ़ी	0.00	80.00	20.00	80.00	0.00	40.00	20.00	20.00	0.00	2.00	40.00	80.00	0.00	20.00	80.00	322.00
5	शिवहर	0.00	50.00	10.00	50.00	0.00	25.00	12.00	20.00	0.00	2.00	20.00	40.00	0.00	20.00	42.00	207.00
6	दरभंगा	0.00	60.00	20.00	60.00	0.00	30.00	20.00	20.00	0.00	2.00	40.00	50.00	0.00	20.00	80.00	242.00
7	मधुबनी	0.00	60.00	20.00	60.00	0.00	30.00	20.00	20.00	0.00	2.00	40.00	60.00	0.00	20.00	80.00	252.00
8	समस्तीपुर	0.00	60.00	20.00	60.00	0.00	30.00	20.00	20.00	0.00	2.00	40.00	60.00	0.00	20.00	80.00	252.00
9	बेगुसराय	0.00	60.00	20.00	60.00	0.00	30.00	20.00	20.00	0.00	2.00	40.00	40.00	0.00	20.00	80.00	232.00
10	खगड़िया	0.00	60.00	20.00	60.00	0.00	30.00	20.00	20.00	0.00	2.00	40.00	40.00	0.00	20.00	80.00	232.00
11	सहरसा	0.00	60.00	15.00	60.00	0.00	30.00	16.00	20.00	0.00	2.00	30.00	50.00	0.00	20.00	61.00	242.00
12	सुपौल	0.00	60.00	15.00	60.00	0.00	30.00	16.00	20.00	0.00	2.00	30.00	40.00	0.00	20.00	61.00	232.00
13	मधेपुरा	0.00	60.00	20.00	60.00	0.00	30.00	20.00	20.00	0.00	2.00	40.00	40.00	0.00	20.00	80.00	232.00
14	कटिहार	0.00	60.00	15.00	60.00	0.00	30.00	16.00	20.00	0.00	2.00	30.00	30.00	0.00	20.00	61.00	222.00
15	भागलपुर	0.00	60.00	15.00	60.00	0.00	30.00	16.00	20.00	0.00	2.00	30.00	30.00	0.00	20.00	61.00	222.00
कुल योग		0.00	970.00	270.00	970.00	0.00	485.00	276.00	300.00	0.00	30.00	540.00	740.00	0.00	300.00	1086.00	3795.00

आवंटन की कुल राशि - सैंतीस करोड़ पन्चानवे लाख

पत्रांक 10 दिनांक – 29/4/17

अपर सचिव

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार

अनुलग्नक – II

मांग संख्या-39 (राशि रु० लाख में)

क्र०	जिला का नाम	2245–02–101–0001–निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान 39–2245021010001 विस्तृत शीर्ष–35–राहत, विषय शीर्ष– 01–नगद /वस्तु		2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति 39–2245021010002 विस्तृत शीर्ष–37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष–01–अनुग्रह अनुदान		2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति 39–2245021010002 विस्तृत शीर्ष–21–सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष–03–आहार/पथ्य		2245–02–101–0003–संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 39–2245021010003 विस्तृत शीर्ष–37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष–01–अनुग्रह अनुदान		2245–02–101–0004–प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण 39–2245021010004 विस्तृत शीर्ष–35–राहत, विषय शीर्ष– 01–नगद /वस्तु		2245–02–112–0002–जनसंख्या का निष्क्रमण 39–2245021120002 विस्तृत शीर्ष–35–राहत, विषय शीर्ष– 01–नगद /वस्तु		2245–02–118–0001–क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मति/नये नावों का निर्माण 39–2245021180001 विस्तृत शीर्ष–21–सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष–01–सामग्री एवं पूर्तियाँ		आवंटन का कुल योग	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	पटना	0.00	40.00	20.00	40.00	0.00	20.00	20.00	12.00	0.00	2.00	40.00	60.00	0.00	12.00	80.00	186.00
2	भोजपुर	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	12.00	0.00	2.00	40.00	40.00	0.00	10.00	80.00	114.00
3	बक्सर	0.00	20.00	15.00	20.00	0.00	10.00	16.00	12.00	0.00	2.00	30.00	40.00	0.00	10.00	61.00	114.00
4	सारण	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	12.00	0.00	2.00	40.00	40.00	0.00	10.00	80.00	114.00
5	सिवान	0.00	20.00	15.00	20.00	0.00	10.00	16.00	12.00	0.00	2.00	30.00	40.00	0.00	10.00	61.00	114.00
6	गोपालगंज	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	12.00	0.00	2.00	40.00	40.00	0.00	10.00	80.00	114.00
7	पश्चिम चम्पारण	0.00	40.00	20.00	40.00	0.00	20.00	20.00	12.00	0.00	2.00	40.00	40.00	0.00	10.00	80.00	164.00
8	पूर्णियाँ	0.00	40.00	15.00	40.00	0.00	20.00	16.00	12.00	0.00	2.00	30.00	40.00	0.00	10.00	61.00	164.00
9	अररिया	0.00	40.00	15.00	40.00	0.00	20.00	16.00	12.00	0.00	2.00	30.00	40.00	0.00	10.00	61.00	164.00
10	किशनगंज	0.00	20.00	15.00	20.00	0.00	10.00	16.00	12.00	0.00	2.00	30.00	40.00	0.00	10.00	61.00	114.00
11	शेखपुरा	0.00	20.00	10.00	20.00	0.00	10.00	12.00	12.00	0.00	2.00	20.00	40.00	0.00	8.00	42.00	112.00
12	लखीसराय	0.00	20.00	10.00	20.00	0.00	10.00	12.00	12.00	0.00	2.00	20.00	40.00	0.00	10.00	42.00	114.00
13	नालन्दा	0.00	40.00	20.00	40.00	0.00	20.00	20.00	12.00	0.00	2.00	40.00	40.00	0.00	10.00	80.00	164.00
	कुल योग	0.00	360.00	215.00	360.00	0.00	180.00	224.00	156.00	0.00	26.00	430.00	540.00	0.00	130.00	869.00	1752.00

आवंटन की कुल राशि सतरह करोड़ बावन लाख

पत्रांक - 10 दिनांक - 29/5/17

29/5/17
अपर सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार